अध्याय

10 अभिलेखों का अनुरक्षण

10.1 प्रस्तावना

परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पैरा 9.1.1 मनरेगस के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण सफलता घटक के रूप में अभिलेखों के उचित अनुरक्षण को निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण निविष्टियों, प्रक्रियाओं, निर्गम तथा निष्कर्षों पर जानकारी को सजगता से जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (जि.का.स.), कार्यक्रम अधिकारी (का.आ.), ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) एवं अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर पर निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज करना होता है, ताकि 100 मांग पर दिनों के रोजगार की तथा योजना के अन्य प्रत्याशित निष्कर्षों की अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों ने विभिन्न स्तरों पर अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों तथा पंजिकाओं के ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए हैं। उपयुक्त अभिलेख अनुरक्षण किसी भी जवाबदेही तंत्र हेतु अनिवार्य है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता भी बृहत पैमाने पर अभिलेखों के अनुरक्षण पर निर्भर करता है।

विशेष रूप से, परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक अभिलेखों को अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था:

पंजिका का नाम	अभिलेख का उद्देश्य	अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण
मस्टर रोल निर्गम पंजिका	मस्टर रोल्स को जारी करना तथा प्राप्ति को दर्ज करता है (का.अ. से ग्रा.पं./कार्यान्वयन अभिकरण को)	ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी
मस्टर रोल प्राप्ति पंजिका	ग्रा.पं. द्वारा मस्टर रोल्स की प्राप्ति को दर्ज करता है	ग्राम पंचायत
जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	आवेदक का नाम, आवेदन/अनुरोध की दिनांकित रसीद को दर्ज करता है। यह जॉब कार्ड जारी न होने के मामले में कारणों को भी शामिल करता है।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
जॉब कार्ड पंजिका	परिवारों के सदस्यों के विवरण दर्ज करता है जिन्हे जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी
रोजगार पंजिका	प्रत्येक पंजीकृत परिवार हेतु, माँग किए गए रोजगार, आवंटित किए गए रोजगार तथा वास्तव में प्रारम्भ किए रोजगार के ब्यौरे, कार्य का निष्पादन तथा श्रमिकों को अदा की गई मजदूरी अथवा बेरोजगारी भत्ते को दर्ज करता है।	ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी

अभिलेख का उद्देश्य	अभिलेख का उद्देश्य	अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण
निर्माण कार्य पंजिका	यह पंजिका में संस्वीकृति आदेश की संख्या एवं तिथि, समापन तिथि, किया गया व्यय, सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि तथा कार्य की पूर्व-मध्य-पश्च परियोजना स्थिति आदि के ब्यौरे दर्ज करती हैं।	कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
परिसम्पत्ति पंजिका	संस्वीकृत, निष्पादित तथा समाप्त सभी निर्माण कार्यों को दर्ज करता है। इसमें परिसम्पत्तियों के ब्यौरे, उसकी लागत, स्थान, वर्तमान स्थिति आदि भी शामिल है।	कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
शिकायत पंजिका	की गई शिकायतों और शिकायत पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे तथा अंतिम निपटान की तिथि को दर्ज करता है।	जि.का.स./कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण
मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाण-पत्र निगरानी पंजिका	आवंटन, व्यय, कार्यान्वयन अभिकरण के पास उपलबध शेष की तिथिवार सूचना तथा उपयोग प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण तथा लंबित होने के संबंध में ब्यौरे दर्ज करता है।	जि.का.स./कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन अभिकरण

ऊपर उल्लेखित पंजिकाओं के अतिरिक्त दो अन्य मूल दस्तावेज जिन्हे प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण को अनुरक्षण करना अपेक्षित है, वे है:

- मस्टर रोल्सः उसमें कार्य किए गए दिनों, अनुपस्थित दिनों आदि के ब्यौरे दर्ज करते हैं।
- रोकड़ बहीः निधियों के सभी बहिर्गमन तथा अन्तर्वाह को दर्ज करती हैं।

10.2 अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 राज्यों तथा चार सं.शा.क्षे. के कुल नमूना जांच किए 182 जिलों, 458 ब्लॉकों तथा 3848 ग्रा.पं. में से अधिकांश मामलों में मूल अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। खराब अभिलेख अनुरक्षण न केवल ग्राम पंचायत स्तर पर था जहाँ क्षमता की कमी को कारण के रूप में बतायी गयी थी। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर वैसी ही गम्भीर कमियाँ थीं। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण से संबंधित निष्कर्षों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

क्र. सं.	अनुरक्षित किए जाने वाली पंजिका का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रही ग्रा.पं. की प्रतिशतता
1.	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (15 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 56 जिलों में 1,205 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो./ग्रा.प.वि.स. तथा 165 ब्लॉकों में जॉब कार्ड आवेदन पंजिका/आवेदन पंजीकरण पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	31.31
2.	जॉब कार्ड पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश (10 राज्यों) में 4 जिलों में 482 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो. तथा 43 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	12.53
3.	रोजगार पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली तथा पुदुचेरी (16 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे.) में 37 जिलों में 1,111 ग्रा.पं./ग्रा.वि.बो. तथा 108 ब्लॉकों में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	28.87
4.	परिसम्पत्ति पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (15 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे.) में 48 जिलों में 1,063 ग्रा.पं. तथा 167 ब्लाकों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	27.62
5.	मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, ओड़िशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दादर एवं नागर हवेली (14 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 42 जिलों में 885 ग्रा.पं. तथा 74 ब्लाकों में मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	22.99
6.	शिकायत पंजिका	असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली तथा पुदुचेरी (15	33.78

क्र. सं.	अनुरक्षित किए जाने वाली पंजिका का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रही ग्रा.पं. की प्रतिशतता
		राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे.) में 1,300 ग्रा.पं., 111 ब्लाकों तथा 34 जिलों में शिकायत पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	
7.	निर्माण कार्य पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नागर हवेली तथा पदुचेरी (17 राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे.) में 46 जिलों में 1,665 ग्रा.पं. तथा 200 ब्लाकों में निर्माण कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	43.26
8.	मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप (सात राज्यों तथा दो सं.शा.क्षे.) में 442 ग्रा.पं., 56 ब्लाकों तथा 10 जिलों में मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	11.48

इस प्रकार, यह पाया गया था कि महत्वपूर्ण रूप से अधिकांश कार्यान्वयन अभिकरणों में मनरेगस हेतु मूल अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जो योजना के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता के संबंध में गम्भीर संदेह पैदा करते है। राज्य/सं.शा.क्षे.वार ब्यौरे **अनुबंध-10क** में दिए गए हैं।

10.3 अभिलेखों का गलत अनुरक्षण

आवश्यक अभिलेखों तथा पंजिकाओं को विश्वसनीय बनाने हेतु उनका अनुरक्षण नियमित रूप से किया जाना अपेक्षित है। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के अतिरिक्त, अभिलेखों के गलत अनुरक्षण के कई मामले भी लेखापरीक्षा के ध्यान में आए थे। इसमें पंजिकाओं/अभिलेखों का अद्यतन न किए जाने, उचित प्रविष्टियां नहीं की जा रही थीं, पंजिकाओं में कालमों को खाली छोड़ा गया था आदि के उदाहरण शामिल थे। इन्हें नीचे सारांशीकृत किया गया है:

क्र. सं	अभिलेख का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	गलत प्रकार से अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहीं नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में से ग्रा.पं. की प्रतिशतता
1.	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका	हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा दादरा एवं नागर हवेली (8 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 564 ग्रा.पं. तथा 39 ब्लॉकों में जॉब कार्ड आवेदन पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.66

क्र. सं	अभिलेख का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	गलत प्रकार से अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहीं नमूना जांच की गई ग्रा.पं. में से ग्रा.पं. की प्रतिशतता
2.	जॉब कार्ड पंजिका	झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 892 ग्रा.पं. तथा 51 ब्लॉकों में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	23.18
3.	रोजगार पंजिका	असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (10 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 957 ग्रा.पं. तथा 41 ब्लॉकों में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	24.87
4.	परिसम्पत्ति पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, सिक्किम, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा दादरा एवं नागर हवेली (12 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 736 ग्रा.पं. तथा 42 ब्लाकों तथा दो जिलों में परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	19.12
5.	मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका	झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश तथा सिक्किम (पांच राज्यों) में 442 ग्रा.पं. तथा 36 ब्लॉकों में मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.86
6.	शिकायत पंजिका	आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर तथा ओड़िशा (सात राज्यों) में 11 जिलों, 473 ग्रा.पं. तथा 57 ब्लाकों में शिकायत पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	12.29
7.	निर्माण कार्य पंजिका	झारखण्ड, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, उत्तराखण्ड तथा दादरा एवं नागर हवेली (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में 10 जिलों में 551 ग्रा.पं. तथा 43 ब्लाकों में निर्माण कार्य पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	14.31
8.	मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका	हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश (तीन राज्यों) में 255 ग्रा.पं. तथा 15 ब्लॉकों में मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था।	6.62

अभिलेखों के गलत अनुरक्षण के राज्य/सं.शा.क्षे.-वार ब्यौरे **अनुबंध-10ख** में दिए गए हैं।

इस प्रकार, अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण तथा गलत अनुरक्षण से संबंधित दोनों कमियां नमूना जांच की गई सभी ग्रा.पं. के 18 से 54 प्रतिशत के बीच थीं। ऊपर उल्लेखित पंजिकाओं में यह देखा गया था कि केवल मासिक आवंटन तथा उपयोग प्रमाणपत्र निगरानी पंजिका का अनुरक्षण पर्याप्त रूप से किया गया था। सभी अन्य पंजिकाओं के संबंध में गैर-अनुरक्षण अथवा गलत अनुरक्षण की कमियां पर्याप्त रूप से अधिक थीं।

10.4 अभिलेखों में अन्य अपर्याप्ताएं

ऊपर उल्लेखित पंजिकाओं के अतिरिक्त, कुछ अन्य मूल अभिलेखों जैसे मस्टर रोल्स तथा रोकड़ बहियों का भी अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था। तथापि इन अभिलेखों के अनुरक्षण में भी कुछ कमियां पाई गई थीं। परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में अपेक्षित हैं कि प्रत्येक मस्टर रोल में एक अनन्य संख्या होनी चाहिए तथा इसमें कार्य पर व्यक्ति का नाम, जॉब कार्ड संख्या, कार्य किए दिवस, अनुपस्थित दिवस तथा अदा की गई मजदूरी शामिल होनी चाहिए। लाभार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान को भी मस्टर पर दर्ज किया जाना था। उपस्थिति ले रहे व्यक्ति द्वारा मस्टर रोल को हस्ताक्षरित किया जाना था।

मस्टर रोल्स का अनुरक्षणः यह देखा गया था कि गोवा, गुजरात तथा नालगोडां जिले के पूचमपल्ली ब्लॉक, विशाखापट्टनम जिले के बूचायपेटा ब्लॉक तथा आन्ध्र प्रदेश के नालगौंडा ब्लॉक तथ रंगा रेड्डी जिलों के सभी नमूना जांच किए ब्लॉकों मण्डलों में मस्टर रोल्स का अनुरक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था। असम के चिरांग जिले तथा लक्षद्वीप में यह पाया गया था कि मस्टर रोल्स का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया गया था।

रोकड़ बहियों का अनुरक्षणः उत्तराखंड तथा दादरा एवं नागर हवेली (ग्रा.पं. स्तर पर) में रोकड़ बही के अनुरक्षण में त्रुटियाँ पाई गई थीं। अधिकांश वित्तीय लेन-देनों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा साक्ष्यांकित नहीं किया गया था, योग सत्यापित नहीं थे, काट कर दोबारा लिखे जाने तथा शोधन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित नहीं किया गया था तथा कई राशियों को पेंसिल द्वारा दर्ज किया गया था।

जि.का.स. देहरादून की रोकड़ बही, मनरेगस के प्रारम्भ से वार्षिक आधार पर बंद नहीं की जा रही थी।

अभिलेख अनुरक्षण से संबंधित अन्य राज्य विशिष्ट मामलों को **अनुबंध-10ग** में दिया गया है।

अभिलेखों के अनुरक्षण में विशाल त्रुटियों ने, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, योजना के निर्गमों तथा परिणामों के किसी भी सत्यापन को एक असंभव कार्य प्रस्तुत किया। अभिलेखों के अभाव ने यह निर्धारित करने को भी कठिन किया कि क्या लाभार्थियों ने अपने वैधिक अधिकारों का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, योजना की पारदर्शिता तथा जवाबदेही की आवश्यकताओं से गंभीरता से समझौता किया गया था। उदाहरणार्थ, रोकड़ बही का गलत अनुरक्षण, जो कि योजना के अंतर्गत की गई प्राप्तियों तथा व्ययों का एक मूल अभिलेख है, धन लेन-देनों को असत्यापनीय प्रस्तुत करेगा। जिससे वित्तीय उत्तरदायित्व का निर्धारण असंभव होगा।

जैसा कि ऊपर पाया गया, जॉब कार्ड पंजिका 1,205 ग्रा.पं. में उपलब्ध नहीं थी तथा 564 ग्रा.पं. में इसका अनुचित रूप से अनुरक्षण किया गया था। जॉब कार्ड आवेदन पंजिका सभी परिवारों जिन्होंने योजना में पंजीकृत होने के लिए आवेदन किया है, का एक अभिलेख है। यह दस्तावेज यह सत्यापित करने हेतु आवश्यक था कि क्या वह सभी जो

जॉब कार्ड चाहते थे वह ऐसा करने में समर्थ थे। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाई कि सभी प्रभावी लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि उसने मानव संसाधनों के आवर्धन हेतु राज्यों को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय को मार्च 2007 में दो प्रतिशत से चार प्रतिशत तक तथा मार्च 2009 में चार प्रतिशत से छः प्रतिशत तक बढ़ाया था।

तथ्य यह रहा कि प्रशासनिक व्ययों की मात्रा में वृद्धि का परिणाम अभिलेखों के अनुरक्षण में कोई नैतिक सुधार में नहीं हुआ था।

10.5 मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली (मॉ.सू.प्र.)

मंत्रालय ने राज्य तथा जिला स्तरों पर डाटा प्रविष्टी तथा योजना के वित्तीय तथा भौतिक पहलुओं से संबंधित सूचना का संकलन करने हेतु एक वैब आधारित मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली-नरेगासोफ्ट को कार्यान्वित किया था। मनरेगस जैसी विशाल एवं जटिल योजना में एक कम्प्यूटरीकृत मॉ.सू.प्र. का उपयोग केवल सुविधा प्रदान करना नहीं था बल्कि यह मूल अभिलेखों में सृजित सूचना का संकलन करने हेतु एक अर्थपूर्ण माध्यम है। मॉ.सू.प्र. को मंत्रालय तथा राज्यों दोनों द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु एक साधन के रूप में उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. एकत्रित सूचना के विस्तृत प्रसार को सुनिश्चित करके, पारदर्शिता हेतु एक साधन है।

लेखापरीक्षा ने मॉ.सू.प्र. में प्रविष्टि डाटा तथा विभाग/जि.का.स. के पास अनुरक्षित वास्तविक कागजी अभिलेखों/उपलब्ध सूचना के बीच बड़ी विसंगतियां पायी थी। यह विसंगतियां सभी प्रकार के अभिलेखों जैसे कि पंजीकृत परिवारों की संख्या, जारी जॉब कार्डों की संख्या, जॉब कार्ड संख्या, माँगा गया रोजगार, प्रदत्त रोजगार, कार्यों की संख्या, व्यय, कार्यों के निरीक्षणों की संख्या, सामाजिक लेखापरीक्षाओं की संख्या आदि में पाई गई थीं। कुछ विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- असम, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान तथा लक्षद्वीप, (सात राज्य तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में प्रविष्ट की गई लाभार्थियों के जॉब कार्ड संख्या वास्तविक अभिलेखों से मेल नहीं खाती थीं। विवरण **अनुबंध-10घ** में दिए गए हैं।
- आन्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र तथा नागालैंड (पाँच राज्यों) के मामले में मॉ.सू.प्र. में प्रविष्ट की निधि शेषों की स्थिति बैंक पासबुक तथा अन्य मूल अभिलेखों में प्रविष्ट शेषों से मेल नहीं खाती थी। विवरण **अनुबंध-10ङ** में दिए गए हैं।
- बिहार, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा पुदुचेरी (नौ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में दर्ज रोजगार सृजन आंकड़े वास्तविक अभिलेखों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। विवरण **अनुबंध-10च** में दिए गए हैं।
- असम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा लक्षद्वीप, (सात राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) के मामले में मॉ.सू.प्र. में दिए गए व्यय आंकड़ों तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों में विभिन्नता थी। इन मामलों के विवरण **अनुबंध-10छ** में दिए गए हैं।

डाटाबेस में की गई गलत प्रविष्टियों के अतिरिक्त, कई एसे मामले पाए गए थे जहाँ राज्य नियमित आधार पर डाटा की प्रविष्टि नहीं कर रहे थे। यह कमियां अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखण्ड तथा दादर एवं नागर हवेली (11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में पाई गई थीं।

मॉ.सू.प्र. में डाटा की वास्तविकता को सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक कदम वास्तविक अभिलेखों के साथ डाटा की पुनः जांच करने तथा पाई गई किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी (11 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे.) में प्रणाली में प्रविष्ट किए गए वास्तविक डाटा की मॉ.सू.प्र. का अद्यतन करने से पहले जांच नहीं की गई थी।

उपरोक्त कमियां के अतिरिक्त, मॉ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा की गुणवत्ता की नमूना जांच करते समय कई राज्य विशिष्ट मामले पाए गए थे। यह कमजोर नियंत्रण के स्पष्ट संकेतक हैं तथा मॉ.सू.प्र. में समाहित संपूर्ण डाटा की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते है। सोफ्टवेयर की सू.प्र. लेखापरीक्षा से संबंधित अध्याय में प्रोग्रामिंग लाजिक तथा नरेगासोफ्ट के आंतिरिक नियंत्रणों से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य विशिष्ट कमियों से संबंधित विवरण **अनुबंध-10छ** में दिए गए हैं।

अच्छा अभ्यासः आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मस्टर तथा मापन प्रणाली

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मस्टर रोल्स में गम्भीर कमियों का निपटान करने हेतु, चरणबद्ध तरीके से, एक इलेक्ट्रॉनिक मस्टर तथा मापन प्रणाली (इ.म.मा.प्र.) प्रारम्भ की थी। सभी कार्यान्वयन कार्यकर्ताओं को "ऑन योअर मोबाइलऊ योजना के अंतर्गत जी.पी.एस. - समर्थ मोबाईल फोन प्रदान किए थे तथा जी.पी.आर.एस. - इंटरनैट संयोजकता सहित क्लोस यूजर्स ग्रुप सिम भी प्रदान किए गए थे। **ई-मस्टर** हेतु मोबाईल आधारित अनुप्रयोग भी विकसित किया गया था- वि.स. द्वारा अपने मोबाईल फोन पर कार्यस्थल पर समूह-वार, कार्य-वार उपस्थिति लेना तथा म.रो. की तुरन्त अपलोडिंग; **ई-मापन** - कार्यस्थल पर समूह-वार कार्य मापन लेना तथा मापनों की तुरंत अपलोडिंग; **ई-मस्टर सत्यापन** - निर्दिष्ट मस्टर सत्यापन अधिकारियों द्वारा उनके मोबाईल फोनों पर मस्टर तिथि की सत्यापन तथा सत्यापन डाटा की तुरंत अपलोडिंग; **ई-जांच मापन** - निर्दिष्ट जांच मापन अधिकारियों द्वारा उनके मोबाईल फोनों पर कार्य मापन का सत्यापन तथा तुरंत अपलोडिंग। इसके अतिरिक्त, फिंगरप्रिट आधारित बायो-मैट्रिक तथा जी.पी.एस. आधारित ई - म.मा.प्र. निजामाबाद जिले में कार्यान्वित की गई थी। जिसके द्वारा मोबाईल फोन के बजाए फिंगरप्रिट समर्थ उपकरणों के माध्यम से मस्टर उपस्थिति डाटा को दर्ज किया किया जा रहा था।

अनुशंसा:

भौतिक अभिलेखों का अभाव तथा ग्रा.पं. स्तर पर उनका गलत अनुरक्षण, योजना की उपलब्धियों के सत्यापन को एक अत्यधिक कठिन कार्य बनाता है; यह निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है। ग्रा.पं. स्तर पर अभिलेख अनुरक्षण को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है। अभिलेख अनुरक्षण को सभी स्तरों पर करीब से मॉनीटर किया जाना चाहिए तथा जारी की गई निधि को अभिलेखों के उचित अनुरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए।